संख्या- 22/2020 /1138/38-7-2020-10 नरेगा/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 20 जुलाई, 2020

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत श्रम-सामग्री अनुपात(60:40) बनाये रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र संख्या-मनरेगा/पत्रा0सं0-216/1865/2019 दिनांक 09-09-2019 द्वारा श्रम-सामग्री का अनुपात(60:40) ग्राम पंचायत स्तर पर बनाये रखने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

2- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 22-06-2016 को निर्गत राजपत्र की अनुसूची-02 के प्रस्तर-20 में निम्नलिखित व्यवस्था प्राविधानित है:-

> "for all works taken up under the scheme, by the gram panchayat and other implementing agencies, the cost of the material component including the wages of the skilled and semiskilled workers, shall not exceeded forty percent at the district level."

3-अतःइस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 22-06-2016 की व्यवस्थानुसार जनपद स्तर पर श्रम-सामग्री अनुपात(60:40) बनाये रखे जाने का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09-09-2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 22/2020/ 1138(1)/अड़तीस-7-2020 तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश ।
3- अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in